

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-72/2025 दिनांक 13.03.2025)
दिनांक-13.03.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही-

थाना खड्डा-

थाना खड्डा पुलिस द्वारा एक महिला व दो पुरुष सहित 03 नफर अभियुक्तों 1. रूपेश कुमार पुत्र जयसवाल साहनी निवासी जौकरिया थाना मझौलिया जिला बेतिया (प0 चम्पारण बिहार), 2. अमर कुमार पुत्र रघुनाथ साहनी निवासी वार्ड न0 12 त्रिभौनी थाना भैरोगंज जनपद बेतिया बिहार व 3. एक महिला को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 90 अदद बन्टी बबली अवैध देशी शराब बरामद कर मु0अ0सं0 76/25, मु0अ0सं0 77/25 व मु0अ0सं0 78/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना अहिरौलीबाजार दुष्कर्म आदि के मुकदमें सं संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
जनपद कुशीनगर में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.03.2025 को थाना अहिरौली पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 073/2025 धारा 137 (2), 64(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिनन्दन श्रीवास्तव पुत्र स्व0 शम्भू शरण लाल श्रीवास्तव साकिन चिलुआ थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 073/2025 धारा 137 (2), 64(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभिनन्दन श्रीवास्तव पुत्र स्व0 शम्भू शरण लाल श्रीवास्तव साकिन चिलुआ थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर .

गिरफ्तार करने वाले टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 राजनरायन यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 3-कां0 अनिल यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा दबिश के दौरान लगभग 700/- लीटर लहन किया गया नष्ट-

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री/ निष्कर्षण / परिवहन विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.03.2025 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा ग्राम दहारीपट्टी में दबिश के दौरान लगभग 700/- लीटर लहन को नष्ट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री ब्रह्म कुमार उपाध्यय चौकी प्रभारी मधुरिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 2.का0 अवधेश यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 3.का0 श्यामसुन्दर राम थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर



- 4.का0 जितेन्द्र कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 5.का0 सत्यप्रकाश यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 6.का0 सुनील राजभर थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 7.का0 उमेश यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
8. का0 रामजी कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

थाना चौराखास पुलिस द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में वांछित दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 01.03.2025 को थाना चौराखास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रहसू जनोबीपट्टी सिवान (गेहूँ के खेत में) एक नीलगाय के कटने की सूचना पर वन विभाग द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना चौराखास पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2025 धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित अभियुक्तगण 01.नबी रसूल पुत्र हकीम अंसारी, 02.हसन पुत्र सुकई साकिनान फुलवापट्टी थाना कसया जनपद कुशीनगर को थाना चौराखास पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.03.2025 को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक प्लास्टिक की जाल (लम्बाई करीब 120 फीट व चौड़ाई करीब 12 फीट) व दो अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 36/2025 धारा 9/51 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. नबी रसूल पुत्र हकीम अंसारी साकिन फुलवापट्टी थाना कसया जनपद कुशीनगर



02. हसन पुत्र सुकई साकिन फुलवापट्टी थाना कसया जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी-

- 1- एक अदद प्लास्टिक की जाल (लम्बाई करीब 120 फीट व चौड़ाई करीब 12 फीट)
- 2- दो अदद नाजायज चाकू

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

01. प्र0नि0 श्री विद्याधर कुशवाहा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 रामप्रगट मिश्रा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
03. उ0नि0 नबीस अहमद थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
04. उ0नि0 प्रशान्त स्वरुप राय थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
05. हे0का0 दिलीप कुमार थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
06. का0 अश्वनी यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
07. का0 मनोज यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 39 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-61 वाहन



- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-75, व्यक्ति-316
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-45)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर



Edit with WPS Office